

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 मार्च 2023—फाल्गुन 18, शक 1944

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2023

क्र. एफ 1-5-5-04-2023-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:—

अनुसूची-एक

(1) उच्च शिक्षा विभाग

अनुसूची-“दो”

नि:शक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : उच्च शिक्षा विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	नि:शक्तजनों के लिए 6 % के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमाक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अंटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %).		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय	सहायक वर्ग 3 (जिला स्तरीय संवर्ग)	276	276	17	6	6	5	0	17	
तृतीय	प्रयोगशाला तकनीशियन (संभाग/राज्य स्तरीय संवर्ग)	954	954	57	0	28	29	0	57	
चतुर्थ	प्रयोगशाला परिचारक (जिला स्तरीय संवर्ग)	1158	1158	69	0	34	35	0	69	
चतुर्थ	स्वीपर (जिला स्तरीय संवर्ग)	181	181	11	3	3	3	2	11	
चतुर्थ	अन्य चतुर्थ श्रेणी (जिला स्तरीय संवर्ग)	1846	1846	111	28	28	28	27	111	
	योग	4415	4415	265	37	99	100	29	265	

No. F 1/5/5/04/2023/26-1- In exercise of the powers conferred by Section 101 of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No 49 of 2016), for identification of posts for the disabled persons, and under the provisions of Rule-17 of The Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, the Committee for identification of such posts, hereby, identifies the posts reserved for Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule 2 in the establishment of Higher Education Department of Schedule 1

Schedule - 1

(1) Higher Education Department

Schedule - 2

Identification of Posts for the Disabled Persons

Department- Higher Education Department

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 %)	Identified Post/Cadre and number as per type of disability				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Class III	Assistant Grade 3 (District Level Cadre)	276	276	17	6	6	5	0	17	
Class III	Laboratory Technician (Division/State Level Cadre)	954	954	57	0	28	29	0	57	
Class IV	Laboratory Assistant (District Level Cadre)	1158	1158	69	0	34	35	0	69	
Class IV	Sweeper (District Level Cadre)	181	181	11	3	3	3	2	11	
Class IV	Other Class IV (District Level Cadre)	1846	1846	111	28	28	28	27	111	
Total		4415	4415	265	37	99	100	29	265	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव.